संख्या-130/2025/I/1069203/2025/71-1001(099)/90/2025

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 27 अगस्त, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में आन लाइन रोगी प्रतिक्रया प्रणाली (Patient Feedback System) को लागू किये जाने के निमित्त साफ्टवेयर तैयार किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2025-26/312, दिनांक 23.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के मेडिकल कालेजों/संस्थानों में आन लाइन रोगी प्रतिक्रिया प्रणाली (Patient Feedback System) को लागू किये जाने हेतु सी-डैक, अनुसंधान भवन, ग्रेटर नोएडा द्वारा तैयार लागत प्रस्ताव (Cost Proposal) क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूँजीगत पक्ष में लेखा शीर्षक-4210-03-105-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में हॉस्पिटल मैनेजमेण्ट सिस्टम की स्थापना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष रू0 13.57 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि चिकित्सा संस्थाओं के अंतर्गत ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 मरीजों को प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की सुविधाओं (साफ-सफाई, बेड्स/चादर की उपलब्धता, डॉक्टर्स/पैरामेडिकल कर्मियों/नर्सिंग कर्मियों का व्यवहार, औषधियों की उपलब्धता, लाइट/फैन/ए0सी0 इत्यादि की क्रियाशीलता) की गुणवत्ता ज्ञात किये जाने तथा उनमें यथावश्यक औचित्यपूर्ण गुणवत्तापरक सुधार किये जाने हेतु रोगियों से आन लाइन फीडबैक प्राप्त किये जाने की व्यवस्था किया जाना गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सकरात्मक पहल होगी। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-सी-28694/2024 डा0 अरविन्द गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज एवं एस0आर0एन0 चिकित्सालय, प्रयागराज हेतु नियुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या-7 के आलोक में भी सभी चिकित्सा संस्थाओं में रोगी प्रतिक्रिया प्रणाली (Patient Feedback System) को लागू किये जाने की आवश्यकता है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में आन लाइन रोगी प्रतिक्रिया प्रणाली (Patient Feedback System) को लागू किये जाने के निमित्त साफ्टवेयर तैयार किये जाने हेतु** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूँजीगत पक्ष में लेखा शीर्षक-4210-03-105-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में हॉस्पिटल मैनेजमेण्ट सिस्टम की स्थापना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष **रू0 13.57 लाख (जी0एस0टी0 सहित) (रू0 तेरह लाख सत्तावन हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साफ्टवेयर की गुणवत्ता, मानक, विशिष्टियों एंव संचालन के सम्बन्ध में महानिदेशक स्वयं संतुष्ट हो लेगें।

2. प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4. अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए नियमानुसार व्यय किया जायेगा। आहरित धनराशि को बैक एंव डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

5. महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. आन लाइन रोगी प्रतिक्रिया प्रणाली (Patient Feedback System) को लागू किये जाने के निमित्त तैयार साफ्टवेयर का उपयोग आवश्यकतानुसार अन्य सभी चिकित्सा संस्थाओं में किया जायेगा।

7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,57,000 (रुपये तेरह लाख सत्तावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031051500 राजकीय मेडिकल कालेजों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना **मानक मद** 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in